न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :–श्री प्रकाश राजपुरोहित. आई .ए.एस

मु0 माल स0 208/2013

1–वीरपालकौर पुत्री श्री गुरदीपकौर पत्नी कुलदीपसिंह जाति जटसिख निवासी गांव गिल तहसील बाधा पुराना जिला मोगा (पंजाब)

2–ईकबालकौर पुत्री गुरदीपसिंह पत्नी सर्बदेवेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी गिल तहसील बाधा पुराना जिला मोगा(पंजाब)जरिऐ मुखत्यारखास वीरपालकौर पुत्री श्री गुरदीपकौर पत्नी कुलदीपसिंह जाति जटसिख निवासी गांव गिल तहसील बाधा पुराना जिला मोगा (पंजाब)

3–जसकरणसिंह पुत्र श्री गुरदीपसिंह जाति जटसिख निवासी 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिऐ मुखत्यारेखास जितेन्द्रपालकौर पत्नी श्री जसकरणसिंह –प्रार्थीयान

बनाम

1–गुरदीपसिंह पुत्र श्री हरनामसिंह जाति जटसिख निवासी 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर

2–हरप्रीतकौर पत्नी श्री बलकरणसिंह जाति जटसिख निवासी 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर

3–एकमदीपसिंह उम्र 1–1/2 वर्ष पुत्र श्री बलकरणसिंह जाति जटसिख निवासी गांव 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर नाबालिग जरिऐ कुदरती माता हरप्रीतकौर पत्नी श्री बलकरणसिंह जाति जटसिख निवासी 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर –अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि01955

उपस्थितिः–1–श्री तेजासिंह एडवोकेट–प्रार्थीगण

2–श्री मोहनलाल छाबडा एडवोकेट– अप्रार्थीगण

:–आदेश–: दिनांकः– 19 दिसम्बर, 2013

इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नप्रकार से है कि चक 10 क्सू चररतर ।063 नया 69 के मु0न014 में 0.304 हैक्टयर मु0न020 में कि0न04/2,8,9,12,13की 1.214 हैक्टयर,मु0न022 कि0न0 23,24,25 में 0.670 मु0न023 में कि0न01ता25 की 6.325 हैक्टयर मु0न040 कि0न01ता25 में 6.197 हैक्टयर मु0न041 कि0न01ता5 की 1.101 हेक्टयर कुल 15.811 हैक्टयर भूमि आवेदकगण के भाई बलकरणसिंह व अनावेदकगण की मुश्तर्का खाता में दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि जो खाता स0 63/69 में बलकरणसिंह के नाम 5.586 हैक्टयर भूमि आई हैं यह भूमि आवेदकगण के पिता गुरदीपसिंह से प्राप्त हुई है। गुरदीपसिंह को यह भूमि हरनामसिंह से प्राप्त हुई थी। इस प्रकार आवेदकगण के पिता

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

–cont (2)

गुरदीपसिंह के पास जो भूमि थी वह उसके पूर्वजों से प्राप्त होने के आधार पर जददी जायदाद थी। दौराने मूल वाद अनावेदकगण संख्या 2 के पति व 3 के पिता के नाम 5.586 हैक्टयर भूमि को रहन बैय करने या किसी दीगर तरीके से हस्तान्तरित करने से अप्रार्थीगण को निषेघ रहने हेतु पाबन्द किया जावे। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री मोहनलाल छाबडा एडवोकेट उपस्थित आये और दिनांक 1–11–2013 को जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मूल वाद में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत किया जा चुका हैं मूल वाद नाकाबिले चलने के नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

आज उभय पक्षों के सुयोग्य अभिभाषकगण उपस्थित आये। दोनों पक्षों के सुयोग्य अभिभाषकगणों ने यह माना कि इस दोनों पक्षों में राजीनामा हो रहा हैं। अतः वकील प्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेघाज्ञा जारी कर दी जावे तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। अतः टी0आई0की पत्रावली में निर्णय करते हुऐ मूल वाद में तारीख रख दी जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र के कथनानुसार बलकरणसिंह के नाम 5.586 हैक्टयर भूमि वादीगण के पिता गुरदीपसिंह से बलकरणसिंह को 5.586 हैक्टयर भूमि प्राप्त हुई है। जमाबन्दी में यह भूमि बलकरणसिह के नाम से मुश्तर्का खाता में दर्ज है। प्रार्थीगण इसी भूमि को लेकर अस्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाना चाहते हैं। मूल प्रकरण में बलकरणसिंह की मृत्यु प्रमाणपत्र लगा हुआ है। प्रार्थनापत्र में अप्रार्थी स02 बलकरणसिंह की पत्नी एंव अप्रार्थी स03 बलकरणसिंह का पुत्र हैं जिन्हें पक्षकार बनाया गया हैं ओर इनकी ओर से श्री मोहनलाल छाबडा का वकालतनामा है। अप्रार्थीगण की औंर से श्री छाबडा एडवोकेट ने प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेघाज्ञा जारी करने पर कोई आपति नहीं होना जाहिर किया है। प्रार्थीगण का प्रथम द्वष्टया प्रकरण बनता है ओर सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। किस का कितना वा कैसे हक बनता है यह मूल वाद में तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात साक्ष्य/सबूतों के आधार पर तैय किया जायेगा। अतः मूल वाद के निर्णय तक विवादास्पद भूमि चक 10 क्यू खाता स0 63/69 की जो बलकरणसिंह खातेदार के नाम से हैं, को अप्रार्थीगण रहन –बैय नहीं करेगें तथा मौका एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखेगें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ शामिल की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर